न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

...ासीन अधिकारी :— श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
...सं0 108/11
...य दिनांक:—10.02.2018

1. हनुमान
2. शंकरलाल
3. बंशीधर
4. मदनलाल
5. बालूराम

समस्त पुत्रान श्योजीराम जाति बलाई नि0 माल्यावास तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादीगण

बनाम

1. प्रभू पुत्र जोधा
2. बीरबल पुत्र जोधा
3. नारायण पुत्र रामनाथ
4. तौफान पुत्र गीदा
5. लक्ष्मण पुत्र पन्ना
6. मालूराम पुत्र पन्ना

समस्त जाति मीणा नि0 माल्यावास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 सगें भाई है जिनमें से प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 श्रीनगर (कश्मीर) में नौकरी करते है इसलिए उन्हे प्रतिवादीगण बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं0 9 जो भी सगां भाई है वह वादीगण के साथ पारिवारिक समस्याओं में सहयोग नहीं करता है ऐसी सूरत में उसे भी प्रतिवादी बनाया जाता है। वादीगण व उनके भाई प्रतिवादीगण सं0 की खातेदारी स्वामित्व व कब्जें की कृषि भूमि खं0नं0 100/2, 98, 100/4 वाकै ग्राम माल्यावास तह0 फुलेर में स्थित है जिसमें उनका बराबर हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है व इसी हिस्सेनुसार वे संयुक्त रूप से काबिज है। राजस्व रिकोर्ड में भी उनका इसी हिस्सेनुसार खातेदारी में नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 वादीगण की विवादित भूमि से कोई ताल्लुक नहीं है पर उनकी जमीन खं0नं0 216, 217, 218 व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की भूमि खं0नं0 212/2, 213/2, 215/2/1, 215/2/2 वाकै ग्राम पीपली का बास वादीगण की भूमि के उत्तर साईड में स्थित है शेष सह कृषक इस विवाद मे सम्मिलित नहीं है जिसमें सदैव से आने जाने का कदीमी रास्ता सलंग्न नक्शा मार्क ई से एफ से दर्शाया गया है जो राजस्व रिकोर्ड में भी दर्शाया गया है तथा उपर बताये हुए रास्तें से ही प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 6 अपनी उपरोक्त भूमि में आते जाते रहे है उनका कदीमी रास्ता अपने उक्त खेतों में यही रास्ता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 का वादीगण की उक्त भूमि में अथवा मेड होकर कोई रास्ता आज तक नहीं रहा और

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

वादीगण की उक्त भूमि में अथवा मेड होकर कोई रास्ता आज तक नहीं रहा व
गण एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगा 9 की उपरोक्त भूमि में कभी आते जाते नहीं
प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 से राजनैतिक द्वेषता रखते है इसी गलत उद्देश्य
तिवादीगण 1 लगा0 6 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगा0 9 की उपरोक्त
अथवा मेड होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है जिससे वादीगण की कृषि
का मान बिगड जावें व उनकी भूमि में पशुओं के आने जाने से उनकी फसल का
कसान हो तथा आये दिन पशुओं के आने जाने से झगडे उत्पन्न हो जिससे वादीगण
प्रतिवादी संख्या 7 लगा 9 शांतिपूर्वक नहीं रहे सकें। नये रास्ते कायम करने के
त उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने सन 2003 में भी सरकारी कर्मचारियों व अन्य
क्तियों को बहकाया अकाल राहत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगा0 9 की
हे में होकर नया रास्ता गैर कानूनी ढंग से निकालने की आड में अकाल राहत में नया
स्ता कच्चे रोड के रूप में होकन निकालने को उकसाया उस वक्त सरकारी तंत्र ने
तिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 व अन्य व्यक्तियों के बहकावे व प्रभाव में आकर वादीगण
की उपरोक्त भूमि में होकर नया रास्ता कायम करने व कच्ची रोड अकाल राहत में
निकालने का गलत प्रयास किया था। पैरा न0 5 में उल्लेखित सरकारी तंत्र द्वारा अकाल
राहत में गैरकानूनी ढंग से नया रास्ता वादीगण की भूमि में होकन निकालने के उद्देश्य
से प्रयास करने पर वादीगण की भूमि में होकर निकालने के उद्देश्य से प्रयास करने पर
वादीगण ने विवश होकर राज्य सरकार के खिलाफ जरिये मुख्य सचिव, जिलाधीश
महोदय एवं तहसीलदार फुलेरा के खिलाफ मान्य न्यायालय सिविल जज(क0 खण्ड)
सांभरलेक के यहां दावा स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो वादीगण के हक में निर्णय
पारित करते हुए दिनांक 23.02.04 को डिक्री किया गया जिसके कारण कोई कच्ची रोड
कानूनन नहीं निकाली गई अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 वादीगण एवं प्रतिवादी
संख्या 7 लगा 0 9 की उपरोक्त भूमि में संलग्न नक्शें में दर्शाये गये मार्क ए.बी.सी.डी. में
नया रास्ता अपनी कृषि भूमि में जाने का बलपूर्वक बिना वादीगण की मर्जी के खिलाफ
नया रास्ता कायम करने पर उतारू है जिसका उनकों कोई कानूनन अधिकार नहीं है
क्योंकि धारा 251 रा0टी0एक्ट के अनुसार सरकारी तंत्र अर्थात भूमिधारी व अन्य निजी
नया रास्ता नहीं निकाल सकते है तथा प्रतिवादीगण का आलरेडी सदैव से अपने खेतों में
आने जाने का कदीमी रास्ता मार्क ई.डब्लयू.एफ संलग्न नक्शें में दर्शाया हुआ उपयोग व
उपभोग में आता रहा है जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है इन सब तथ्यों व कनूनी पहलू
को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण की भूमि संलग्न नक्शें में नया रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी.
निकाले जाने का कृत्य पूर्णतया गैर कानूनी है जिसे रोका जाना आवश्यक है दिनांक
04.09.11 को वादीगण अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में उनके द्वारा काश्त की हुई फसल
को संभालने गये थे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 वहां आये और वादीगण को धमकी
दी कि हम आईन्दा तुम्हारें खेतों के अन्दर से या मेड से नया रास्ता निकालेंगें क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

[illegible] से वर्तमान में उनके खेतों में काफी चक्कर खाकर राजस्व रिकार्ड में [illegible] संलग्न नक्शे में मार्क ई.डब्ल्यू.एफ से दर्शाया रास्ता दूर पडता है वादीगण ने [illegible] पर ऐतराज किया कि सरकारी कर्मचारियों ने ही नया रास्ता कायम नहीं करते हुए [illegible] राहत में कच्ची रोड नहीं निकाली तथा इस संबंध में वादीगण का वाद भी डिक्री [illegible] चुका है तब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 6 ने धमकी दी कि हम तो बलपूर्वक [illegible] स्ती तुम्हारी जमीन में होकर नया रास्ता निकालेंगें जान से मारने की धमकी दी [illegible] ों के समझाने पर वे माने वादीगण ने जान के भय से प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ [illegible] स थाना फुलेरा में रिपोर्ट भी प्रेषित की जिसकी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 107/116 [illegible] फौ0 अनुसंधान में विचाराधीन है ऐसी सुरत में यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत [illegible] ना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब [illegible] किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा 5 की ओर से वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने वकालतनामा [illegible] जवाब दावा पेश किया वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 की ओर से प्रार्थना पत्र [illegible] आर्डर 7 नियम 11 का पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 का [illegible] जवाब पेश किया दिनांक 18.10.11 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] पत्र आर्डर 7 नियम 11 अस्वीकार किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल [illegible] 10 जाब्ता दीवानी मय वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 स्वीकार [illegible] किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 9 को वादी संख्या 3 लगा0 5 बनाये जाने का [illegible] आदेश दिया गया जिस पर वकील वादी द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया।

[illegible] नकीयात् कायम की गई जो निम्न प्रकार हैः–

1. आया प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 212/2, 213/2, 215/2 वाके ग्राम पीपली का बास में से होकर सदैव से कभी भी रास्ता संलग्न नक्शा अर्जी दावा में मार्क ई टू एफ रहा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्शाया गया है।

   ....वादीगण

2. आया वादीगण की भूमि खसरा नंबर 216, 217, 218 उक्त भूमि में अथवा में होकर प्रतिवादीगण की भूमि में जाने का कोई रास्ता आज तक नहीं रहा है एवं नया रास्ता निकालने की चेष्टा में है।

   ....वादीगण

3. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि में जाने के लिए नया रास्ता निकालने हेतु वादीगण को धमकी दी।

   ....वादीगण

4. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

   ....वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

5. आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 की कृषि भूमि में जाने के लिए सदैव से वादीगण की भूमि की और होकर जाने का रहा है।

.....प्रतिवादीगण

6. सहायता।

वकील वादी ने दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेजात पेश किये जो शामिल ली किये गये। दिनांक 04.10.17 को बार–बार आवाज दिलवाई गई परन्तु वादीगण की तरफ से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी या 1 व गवाह सेवाराम पुत्र नाथूराम, जगदीश सिंह पुत्र छीतर सिंह के शपथ पत्र कर बयान लेखबद्ध करवाये गये वकील वादी और बयान नहीं करवाना चाहते लिए शहादत वादी बंद की जाती है।

वकील वादी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खं0नं0 100/2, 98, 100/4 वाकै ग्राम माल्यावास तह0 फुलेरा संलग्न नक्शें में दर्शित किये गये मार्क ए,बी,सी,डी से कोई नया रास्ता कायम नहीं करे व वादीगण के उपयोग व उपभोग में मजाहमत न करें। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 फुलेरा को आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 10.02.18 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

...श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0 मुकाम सांभर लेक

हनुमान वगै0

बनाम

प्रभु वगै0

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 108/11

...कदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री त्रिलोकचंद डांगरा व हाजरी श्री ... ...त मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता ... वादीगण का वाद का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से डिक्री ... जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ...0 100/2, 98, 100/4 वाकै ग्राम माल्यावास तह0 फुलेरा संलग्न नक्शे में दर्शित किये गये ... ए,बी,सी,डी से कोई नया रास्ता कायम नहीं करे व वादीगण के उपयोग व उपभोग में ...हमत न करें।..

.... बाबत्..निज ....

...लिग.. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...........

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...................

...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन् 2018 को जारी की ...ई।

मुहर

दस्तखत.........

ओहदा

उप खण्ड अधिकारी सांभर लेक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक जिला जयपुर

क्र./राजस्व/279 दिनांक 19/2/18

प्रति :- तहसीलदार फुलेरा

विषय :- हनुमान वगै0 बनाम प्रभू वगै0

मु0नं0 108/11

उपरोक्त प्रकरण में आपकों निर्णय दिनांक 10.02.2018 की प्रति भिजवाकर लेख है कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक निर्णय दिनांक 10.02.2018 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट दिनांक 20/3/18 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आज दिनांक 19/2/18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्रा